राइट टू सर्विस कमीशन को अधिक मजबूत बनाने की कवायद

⏭ कई जिलों के उपायुक्त भी राइट टू सर्विस स्कोर में बहुत नीचे

राकेश गुप्ता ⏭ चंडीगढ़

राइट टू सर्विस के तहत ना केवल विभाग बल्कि कई जिलों के उपायुक्त भी राइट टू सर्विस स्कोर में बहुत नीचे हैं। कई जिले इस सर्विस में 8 अंक से भी नीचे हैं, जबकि कई विभाग शून्य के स्तर पर हैं। सख्त हुए राइट टू सर्विस कमीशन ने अब इन उपायुक्तों और विभागों को स्तरीय काम करने के लिए कहा है और पत्र भी लिख दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक तीन जिले ऐसे है, जहाँ पर राइट टू सर्विस स्कोर यानी आरटीएस 9 से कम है। दो जिले ऐसे भी है जहां का आरटीएस 8 और उससे कम है। सबसे कम आरटीएस हिसार का 7.9, जींद का 8 पलवल का 8.6, भिवानी का 8.7 और पानीपत का 8.9, जबकि आरटीएस में सबसे बेहतर जिला रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र है यहां पर आरटीएस 9.6 है। यमुनानगर, करनाल का आरटीएस 9.5 है। रोहतक,

कैथल का आरटीएस 9.4 है। महेंद्रगढ़, अम्बाला, चरखी दादरी का 9.3 है। पंचकूला, फरीदाबाद और हरियाणा हेड क्वार्टर 9.2 है। फतेहाबाद, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत 9.1 है। सिरसा और नूंह 9 पॉइंट है।

सूत्रों के अनुसार 30 महकमों जो हैं उनमें कई महकमों के आरटीएस स्कोर 9.9 और कई महकमों के शून्य भी हैं। मजेदार बात यह है की कृषि आधारित राज्य की अर्थव्यवस्था होने के बाद भी कृषि के अंक 4.8 हैं, जबकि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अंक भी 5.1 हैं जो सामान्य आरटीएस स्कोरो से बहुत कम है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हरियाणा शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आरटीएस को शून्य जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी अंक शून्य हैं। वही देखें तो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग विभाग के अंक 9.9, हरियाणा लेबर वेलफेयर 9.9, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के 9.9, पुलिस डिपार्टमेंट के 9.8, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग के 9.8, हॉर्टिकल्चर विभाग के 9.8 है।

रिवेन्यू विभाग के 9.7, मत्स्य पालन विभाग के 9.7, वेलफेयर ऑफ एसी एंड बीसी इसके 9.6, हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट के 9.5, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 9.4, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 9.3, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 9.3,

➡ शेष पेज 7 पर

मुख्यमंत्री आज ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे

राइट टू सर्विस कमीशन को और ज्यादा मजबूत बनाने और विभागों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे। यह सूचना जगत क्रांति अपने पाठकों को सबसे पहले दे चुका है। गुप्ता के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह होगी कि इस सॉफ्टवेयर से समय बद्ध तरीके से यदि किसी आवेदक का काम नही होता है तो ऑटोमेटिकअली उच्च अधिकारी के पास मामल जाएगा। यदि ऊपरी स्तर पर भी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता तो इसके बाद वह केस वह कमीशन के पास आएगा उन्होंने कहा कि कमीशन समय पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकता है। हाल ही में एचएसवीपी के वक मामले को लेकर आयोग ने अधिकारियों को पांच -पांच हजार का जुर्माना लगाया है और इसमें से पांच हजार रुपए आवेदक को देने के आदेश दिए हैं, यदि यह जुर्माने तीन दफा या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है।